बस्टर्ड संरक्षण का अगला चरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard- GIB) **तथा** लेसर फ्लोरिकिन **के संरक्षण** के अगले चरण के लिये 56 करोड़ रुपए मंज़ूर किये हैं।

मुख्य बिंदु:

- इस योजना में आवास विकास, स्व-स्थाने संरक्षण, संरक्षण प्रजनन केंद्र का निर्माण कार्य पूरा करना, बंदी-प्रजनित पक्षियों को मुक्त करना तथा अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं।
- राष्ट्रीय CAMPA (प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) ने भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India's- WII) के प्रस्ताव की सिफारिश शासी निकाय को की थी।
- इस प्रजाति को पुनर्जीवित करने की योजना सर्वप्रथम वर्ष 2013 में राष्ट्रीय बस्टर्ड रिकवरी योजना के तहत शुरू की गई थी, जिसने बाद में 2016 में बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट को जन्म दिया।
- बाद में जुलाई 2018 में **MoEFCC, राजस्थान वन विभाग और WII के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।**
- तीनों पक्षों द्वारा संचालित परियोजना के हिस्से के रूप में **दो GIB संरक्षण प्रजनन केंद्र और एक लेसर फ्लोरिकिन केंद्र क्रमशः राजस्थान के** सैम, **रामदेवरा तथा सोरसन में** कार्य कर रहे हैं।
- सैम और रामदेवरा की टीम ने इस प्रजाति की मूल आबादी (Founder Population) के पुनः वन्यीकरण हेतु वनों से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड/गोडावण के **अंडों को एकत्र करके प्रजनन केंद्र में** उनका **कृत्रिम रूप से ऊष्मायन एवं उद्भवन (Incubated and Hatched) कर** संवर्द्धन किया गया
- वर्तमान में **वनों में लगभग 140 GIB और 1,000 से भी कम लेसर फ्लोरिकिन** शेष हैं।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

//

- **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Ardeotis nigriceps) राजस्थान का राजकीय पक्षी है** और भारत का सबसे **गंभीर रूप से संकटापन्न पक्षी** माना जाता है।
- यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है, जो चरागाह पारिस्थितिकी का प्रतिनिधित्व करती है।
- ये अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। **महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश** में यह प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है।
- **सुरक्षा की स्थिति:**
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट: **गंभीर रूप से संकटग्रस्त**
- वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): **परिशिष्ट-1**
- प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS): **परिशिष्ट-I**
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: **अनुसूची-1**

लेसर फ्लोरिकन (Sypheotides indicus)

- यह **भारत में पाई जाने वाली तीन स्थानिक बस्टर्ड प्रजातियों** में से एक है, **अन्य दो प्रजातियाँ बंगाल फ्लोरिकन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं।**
- स्थानीय भाषा में इस पक्षी को **'खरमोर'** के नाम से जाना जाता है, जो मोर के मूल शब्द 'मोर' से निकला है।
- यह लुप्तप्राय पक्षी **राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात** में पाया जाता है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट:** संकटग्रस्त
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची-1
- **वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES):** परिशिष्ट II

https://www.youtube.com/watch?v=ggavPiG5ccQ

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/next-phase-of-bustard-conservation